FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

वीरेन्द्र कुमार बनाम नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 162 वर्ष 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस बताया था कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। भूमि ख०न० 457 मे पानी का नाला बना हुआ है जो बर्षाती पानी निकासी हेतु आस पडौस के खेतो का आ रहा है। जो कभी सरकारी भूमि नहीं रहा। पटवारी हल्का द्वारा मौके कि जांच किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कि है। अपील अन्दर मियाद है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार अजीतगढ की आज्ञा दिनांक 6/12/17 को निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख०न० 457 रकबा 0.01 किस्म बा० 3 पर डोल लगाकर अतिक्रमण करना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही [illegible] पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जो पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट साबित होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी कि श्रैणी में आता है। अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना करते हुए व सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए सही निर्णय पारित किया गया है। जिसमे कोई त्रुटि नही पाई गई है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज कि जाती है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के मु०न० 128/17 उनवान सरकार बनाम विरेन्द्र मे दिनांक 6-12-2017 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। मि०खु०। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner